मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत से इसकी प्रक्रिया और प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में वृद्धि 2012 में हुई थी। केंद्रीय सहायता के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी की पेंशन योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी प्रति माह 50 रुपये से लेकर 3,200 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि जोड़ रहे हैं। कई राज्यों में इस योजना के लाभार्थी प्रतिमाह 1,000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यह सहायता राशि बहुत ही कम है और चिंता का कारण है, क्योंकि इतनी कम राशि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार द्वारा गठित डॉ. मिहिर शाह समिति (2012), सुमित बोस समिति (2016) नीति आयोग (2020) और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मूल्यांकन अध्ययन (2021) ने भी पेंशन राशि को बढ़ाने की सिफारिश की है। मेरा सरकार से निवेदन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की सभी योजनाओं के तहत सहायता राशि में वृद्धि की जाए और इसे बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह किया जाए जिससे समाज का गरीब और वृद्ध वर्ग लाभान्वित हो।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Shri Jose K. Mani (Kerala), associated himself with the matter raised by hon. Member, Shri Iranna Kadadi.

Demand for closure of Toll Plaza

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, my Special Mention relates to demand for closure of toll plazas across the country.

Mr. Deputy Chairman, Sir, right to free movement is a fundamental right available to all. The increasing number of toll plazas and annual hikes in tolls fees are placing unbearable burden on the people of this country, including the people of Tamil Nadu. Currently, Tamil Nadu has 65 toll plazas. At least, five toll plazas are within 10 km of corporation and municipal limits, and over 20 toll plazas violate the 60 km distance limit. These infractions demand immediate action for the removal of these tolls. However, no steps have been taken towards closure of Toll Plaza despite an assurance to do so. An example is the Paranur Toll Plaza on the Chennai-Trichy NH-32. According to a CAG report, the NHAI collected an excess of Rs. 28.54 crore from Paranur toll plaza and did not reduce 40 per cent of toll fees. There is no independent authority regulating toll fees, and the current formula for periodic increases should be reviewed. I urge an independent audit to analyze investments and the realized amounts at these toll plazas. Furthermore, I also urge that that toll plazas across the country be abolished and replaced with one-time smaller fee to be collected at the time of registration of vehicle, ensuring a fair and transparent system that respects the right to free movement. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with

the issue raised by hon. Member, Shri P. Wilson: Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala) and Shri Sandosh Kumar P (Kerala).

Demand to broaden the Kalka to Shimla railway line

डा. सिकंदर कुमार (मध्य प्रदेश): महोदय, हिमाचल प्रदेश में रेलवे यातायात की बात करें, तो अभी भी मध्य हिमाचल में रेल यातायात की सुविधा न के बराबर है। महोदय, हिमाचल की ब्रिटिशकालीन रेलवे लाईन के संबंध में आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। 1903 से लेकर आज तक ब्रिटिश कालीन इस नैरोगेज रेलवे लाईन कालका से शिमला पर यातायात जारी है। इस रेलमार्ग में 103 सुरंगें व 869 पुल बने हैं। इस रेलमार्ग में ट्रेन तीखे मोड़ों से गुजरती है। इस रेलमार्ग को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है और देश-विदेश से सैलानी इस रेलमार्ग पर सफर का आनंद लेते हैं। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लाखों-करोड़ों सैलानी हिमाचल घूमने के लिए आते हैं। इस रेलमार्ग को ब्रॉडगेज करने की मांग काफी समय से लम्बित है। अतः आपसे आग्रह है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस रेलमार्ग कालका से शिमला को अविलंब ब्रॉडगेज किया जाए। महोदय, भले ही इस ट्रैक को विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है, लेकिन 121 वर्ष पुराने इस ट्रैक पर कई खामियां भी हैं। इस ट्रैक पर बने कई पुल कई जगह इतने जर्जर हो चुके हैं कि स्वयं रेलवे को खतरा लिखकर चेतावनी देनी पड़ रही है। इस रेलमार्ग पर यात्रियों के लिए सुविधाओं का भी बहुत ज्यादा अभाव है। अतः सरकार से आग्रह है कि इस रेलमार्ग का जीर्णोद्धार किया जाए ताकि इस रेलमार्ग पर सफर करने वाले लोगों व सैलानियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और किसी अनचाही घटना से भी बचा जा सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Special Mention raised by the hon. Member, Dr. Sikander Kumar: Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Dr. Lakshmikant Bajpayee (Uttar Pradesh) and Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat).

Demand to stop levying penalty for not maintaining minimum balance in savings account

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड) : महोदय, बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर बैंक ग्राहकों से जुर्माना वसूलते हैं। इस दंड से बचने के लिए आपके बचत खाते में न्यूनतम राशि की अनिवार्यता होनी जरूरी है। अगर आपके बचत खाते में एवरेज मंथली बैलेंस (AMB) बैंक द्वारा तय की गई राशि से कम होता है तो आपसे जुर्माना वसूला जाता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम बैलेंस वाले